न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 20/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/38

भूपिन्द्र कौर बनाम कुलदीप सिंह आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188,92ए,209 राज. काश्त. अधि.

उपस्थिति :–

1. श्री नरेश पुरी, अधिवक्ता प्रार्थी(प्रतिवादी सं. 1)
2. श्री लाजपतराय, अधिवक्ता अप्रार्थी(वादी)

–:: आदेश प्रार्थना पत्र ::–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी

दिनांक : 12.06.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि –

1. प्रतिवादी सं. 1 जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया द्वारा एक वाद पत्र विधिक अधिकारों के विपरीत एवं कानून विपरीत अंतर्गत धारा 88–53–188–92ए, 209 आर टी एक्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसमे वादिया ने अनुतोष के रूप में पति एवं सास के जीवित रहते हुए पति एवं सास की खातेदारी भूमि चक 3–एस ए डी खाता संख्या 20 की 3.163 हेक्टेयर तथा खाता संख्या 19 की 3.630 हेक्टेयर में 1/3 हिस्सा स्वयं हेतु एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 हेतु विभाजन करवाए जाकर खातेदारी टेनेन्ट घोषित किये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु विरुद प्रतिवादी मांग कि है। वादिया द्वारा लाया वादपत्र समबन्धित भूमि के गैर कृषक, गैर खातेदार, गैर आसामी, गैर सांझेदार होने के नाते विधिविरूद्ध पेश किया गया है जो कि विधिविरूद्ध होने के कारन विधी द्वारा वर्जित है एवं इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र संख्या 20/2023 खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया।
2. वादी जरिए अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि प्रतिवादीगण की स्वयं अर्जित भूमि नहीं है बल्कि वादिया के ससुर सुखदेव सिंह के द्वारा चक दानेवाला तहसील अबोहर (पंजाब) में स्थित पुश्तैनी भूमि को विक्रय कर प्राप्त प्रतिफल से वाद में वर्णित विवादित भूमि को अपने स्वयं व वादिया की सास व पति के नाम से भूमि खरीद की गई है। जो कि स्वयं अर्जित सम्पति ना होकर जद्दी जायदाद की श्रेणी में आती है। इसलिए वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पोषणीय है। वादिया उक्त वाद प्रस्तुत करने हेतु विधिक रूप से सक्षम है। चूंकि विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है एवं वादिया प्रतिवादी संख्या 1 की विधिक पत्नी है इसलिए वादिया यह वाद पेश करने हेतु सक्षम है। प्रतिवादीगण के द्वारा मात्र प्रकरण में उलझाव पैदा करने व मामले को देरीना करने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी. सी. के तहत पेश किया गया है। जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि में वादीया का हक निहित है तथा वादिया उक्त भूमि का हिस्सा व बंटवारा में प्राप्त कर सकती है। वादिया प्रतिवादी संख्या 1 की विधिक पत्नी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा [illegible] कार्यवाही कर रखी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के सम्बन्ध अन्य [illegible] है जिनके बहकावे में आकर वादिया का हक मारना चाहता है। शेष [illegible] साक्ष्य व दस्तावेजी सबूत व गवाहों के पेश करने के पश्चात [illegible] दावे में बिना साक्ष्य व सबूतों के प्रस्तुत करने से पूर्व ही [illegible] आदेश 7 नियम 11 एवं [illegible] 151 सी.पी.सी. के तहत निस्तारण कर दिया जाता है तो समस्त तथ्य प्रस्तुत होने [illegible] रह जायेगे और वादिया के साथ न्याय नहीं हो सकेगा और प्रकरण में वाद विवाद बढ़ेगा व समय नष्ट होगा। इसलिए प्रकरण का न्यायालय में पूर्ण प्रक्रिया व ट्रायल के मध्य निस्तारण किया जाना उचित है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. खारिज करने हेतु निवेदन किया।
3. बहस वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। वकील उभयपक्ष अपनी बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी अपनी बहस में कथन किया कि वादीया विवादित भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:40:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

खातेदार/काश्तकार, सहखातेदार कुछ भी नहीं है। पति के जीवित रहते पत्नी दावा लाने की अधिकारी नहीं है। वादीया को वादकारण हासिल नहीं है। वाद पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता वादी अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र के निस्तारण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। वाद के तथ्यों पर वाद बिन्दू कायम कर गुणावगुण पर उभयपक्ष से साक्ष्य प्राप्त करने के उपरान्त निर्णय होना है। इस स्तर पर निर्णय किया जाना न्यायोचित नहीं है। वादीया को वाद कारण है अथवा नहीं यह तनकी का विषय है। प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादीया भूपिन्द्र कौर जो कि प्रतिवादी सं. 1 कुलदीप सिंह की पत्नी है के द्वारा हस्तुत वाद पत्र विवादित भूमि जो कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज है को प्रतिवादी सं. 1 की विरास्तन सम्पत्ति अंकित करते हुए प्रतिवादी सं. 1 की भूमि में से स्वंय वादीया व प्रतिवादी सं. 5 जो कि वादीया की पुत्री है के खातेदारी घोषणा के अनुतोष पर आधारित पेश किया है। वादीया जो कि प्रतिवादी सं. 1 की पत्नी है, प्रतिवादी सं. 1 के जीवनकाल में प्रतिवादी सं. 1 की भूमि में से अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। किन्तु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पति एवं पत्नी एक ही ईकाई है तथा पत्नी अपने पति के जीवनकाल में पति की सम्पत्ति में से हक एवं हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। वादीया का वाद पत्र वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 1 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 12.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:40:07 IST
Reason: SelfAttested